बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता

प्रधान महासचिव

मो० 7488601083

e-Mail : bvapatna@gmail.com

पत्रांक- ....38.........

दिनांक- ....21-04-2020......

सेवा में,

माननीय मंत्री महोदय,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय ः—नगर निगम क्षेत्र में बिकने वाले पशु माँस की जाँच, आवारा कुत्तों का बधियाकरण एवं बेसहारा पशुओं की इलाज इत्यादि हेतु पशु चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में निवेदनपूर्वक कहना है कि बिहार राज्य में बिक रहे पशु माँस की किसी प्रकार की जाँच अभी शायद नहीं हो रही है, जबकि माँस के लिए कटने वाले पशुओं की बध—पूर्व एवं बध—पश्चात् जाँच अत्यावश्यक है, ताकि माँस के चलते पशुओं से मानव में होने वाले बीमारियों का संक्रमण रोका जा सके। ज्ञात हो कि बहुत सारी पशु जनित रोग मानवों को भी संक्रमित करती है। इस कारण से पशुओं की बध—पूर्व एवं बध—पश्चात् जाँच के लिए नगर निगम में पशु चिकित्सकों का पदस्थापन आवश्यक है। मुम्बई समेत भारत के अधिकांश नगरों के नगर निगम में पशुओं की बध—पूर्व एवं बध—पश्चात् जाँच, आवारा कुत्तों का बधियाकरण एवं बेसहारा पशुओं की इलाज इत्यादि के लिए पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है।

अतः भवदीय से निवेदन है कि बिहार राज्य के सभी नगर निगम के क्षेत्रों में भी माँस के लिए पशुओं की बध—पूर्व एवं बध—पश्चात् जाँच, आवारा कुत्तों का बधियाकरण एवं बेसहारा पशुओं की इलाज इत्यादि के लिए कम से कम चार पशु चिकित्सकों का पद सृजन कर नियुक्ति करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)
प्रधान महासचिव